न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्रीमती शुभम चौधरी, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 36/2022

अपीलार्थी

1. श्री जेठाराम उर्फ जेठा पुत्र स्व. श्री देवारामजी (देवाजी) जाति मीणा निवासी पटवार भवन के सामने, वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री उमाराम पुत्र स्व. श्री देवारामजी (देवाजी) जाति मीणा निवासी पटवार भवन के सामने, वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. श्री चमनाराम पुत्र स्व. श्री भूरारामजी (भूराजी) जाति मीणा निवासी पटवार भवन के सामने, वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री शंकरलाल पुत्र स्व. श्री भूरारामजी (भूराजी) जाति मीणा निवासी पटवार भवन के सामने, वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. श्री रामसिंह पुत्र श्री मक्खन जाति मीणा निवासी नोराना तहसील नीम का थाना जिला सीकर।
4. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार पिण्डवाडा जिला सिरोही।
5. ग्राम पंचायत वीरवाडा जरिए सरपंच ग्राम पंचायत वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :

1. श्री धीमान खत्री अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से।
2. श्री राजेन्द्र पुरी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो की ओर से।
3. श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या तीन की ओर से।
4. तहसीलदार (पेरोकार राज.)

निर्णय दिनांक : 18.06.2024

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा उनके नामान्तरकरण संख्या 1101 दिनांक 05.03.2006 के विरूद्ध दिनांक 01.08.2022 को प्रस्तुत की जिस पर अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलांट अधिवक्ता के निवेदन पर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किया जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रपुरी ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या तीन की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या चार की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के लायक अधिवक्ता श्री धीमान खत्री द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि मौजा वीरवाडा पटवार हल्का वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही में खसरा संख्या 264 रकबा 8.15 बीघा एवं खसरा संख्या 724 रकबा 1.14 बीघा भूमि आई हुई थी। यह है कि अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो एक ही परिवार के सगे काका भाई है, जो स्व. श्री उदाजी मीणा के वंशज है। यह कि उक्त विवादग्रस्त आराजी श्री उदाजी मीणा के कब्जे काश्त की कृषि भूमि है, जिस पर उनके द्वारा लगभग 55 साल तक बिना किसी रोक टोक के निर्बाध रूप से अपने जीवनकाल तक अपने सभी पुत्रों सहित कृषि कार्य कर अपने परिवार का भरणपोषण किया है। खसरा संख्या 264 पुराने खसरा संख्या 127 व 128 से मिलकर बना है। यह कि स्व. श्री उदाजी मीणा के जीवित अवस्था में जब भी पैमाईश सर्वे का कार्य सेटलमेन्ट में भू–प्रबन्ध विभाग के अधिकारीगण व भू–पैमाईश के अमीन द्वारा किया गया तब भू–प्रबन्ध के अधिकारीगण व पैमाईश करने वाले अमीन ने खसरा संख्या 127 व 128 का स्व. श्री उदाजी मीणा के कब्जे काश्त की होने का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड के किसी भी दस्तावेज में दर्ज नहीं किया। यहां ऐसा भी प्रतीत होता है कि सेटलमेन्ट की संवत 2013 से 2032 तक की खतौनी बन्दोबस्त जमाबंदी को देखकर की सेटलमेन्ट में भू–प्रबन्ध विभाग के अधिकारीगण तथा भू–पैमाईश करने वाले अमीन ने पुराने खसरा संख्या 127 व 128 का सर्वे कार्य नहीं किया एवं उपरोक्त खसरों पर मौके पर किसका कब्जा काश्त चला आ रहा है, इसका पता नहीं लगाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज होना रह गया। सेटलमेन्ट के समय पैमाईश व खसरे का कार्य जब भी प्रारम्भ हुआ यानि उदाजी मीणा की जीवित अवस्था में तब खसरा संख्या 127 व 128 की कृषि भूमि पर काबिज काश्तकार उदाजी मीणा का नाम किसी कारणवश व भूलवश राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज/दर्ज होना छूट गया। स्व. श्री उदाजी की मृत्यु के बाद उक्त खसरा संख्या 127 व 128 यानि नए खसरा संख्या 264 आज दिन तक अपीलांटगण व रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो के कब्जे काश्त की चली आ रही है, जबकि खसरा संख्या 264 रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो के स्व. पिता श्री भूराजी मीणा ने अपने नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा दिया एवं अन्य खसरा संख्या 724 श्री भूराजी ने अपने स्वयं व अपने छोटे भाई देवाजी के नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा दिया। यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो के पिता श्री भूराजी ने खसरा संख्या 724 की जमाबंदी की नकल बताकर कहा कि खसरा संख्या 264 भी हम दोनों भाईयों के नाम पर खातेदारी में दर्ज हो गई है, जिस पर अपीलांटगणं के पिता को विश्वास हो गया कि खसरा संख्या 264 दोनों भाईयों के सामलाती राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गई है। यह कि अपीलांटगण के पिता की जीवित अवस्था में श्री देवाजी व रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो के पिता श्री भूराजी ने खसरा संख्या 264 का बंटवारा कर अपने–अपने हिस्से के टुकडे में फसल बोकर अपने–अपने परिवार का भरणपोषण किया। सन् 1978 में देवाजी की मृत्यु हो जाने के कारण भूराजी व रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो ने अपीलांट श्री जेठाराम को बंटवारे में आए हिस्से के टुकडे में फसल बोने से मना कर दिया तथा अपीलांट व उसकी माता के साथ लडाई झगडा कर मारपीट की गई। उक्त विवाद को देखते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो तथा इनके पिता श्री भूराजी ने गांव के प्रतिष्ठित लोगों को इकट्ठा किया, तब अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो तथा इनके पिता के मध्य दिनांक 19.07.1979 को आपसी पारिवारिक समझौता कर लिखा पढी की गई कि खातरली के पीछे जो खेत का टुकड़ा है वो आज दिन तक

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

देवाराम मीणा ने बाया है, वो टुकडा जो दरतख्त है, उसके सहित वो खेत देवाराम मीणा के लडके जेठाराम को दिया है। इस प्रकार खसरा संख्या 264 का फैसला दोनों पक्षों की बीच हो गया और आज दिन तक उक्त खेत के टुकडे को अपीलांटगण कब्जे काश्त के रूप में स्वतंत्र बोते आ रहे है। यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक श्री चमनाराम सन् 2006 में गांव वीरवाडा के सरपंच बनने पर अपने पद का गलत फायदा उठाते हुए भूराजी की मृत्यु के बाद खसरा संख्या 264 को रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो के नाम नामान्तरकरण संख्या 1101 दिनांक 05.03.2006 के जरिए राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा दिया, जिसकी जानकारी अपीलांटगण को नहीं हो सकी। वर्तमान में रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो ने रेस्पोडेन्ट संख्या तीन को खसरा सख्या 264 के कुल रकबे में से 2 बीघा कृषि भूमि रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के जरिए बेचान करने से रेस्पोडेन्ट संख्या तीन द्वारा उक्त भूमि पर एक माह पूर्व जेसीबी लाई जब अपीलांटगण को पता चला कि दो बीघा जमीन रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो ने बेचान कर दी है, जिस पर अपीलांटगण ने अधिवक्ता से सम्पर्क कर नकलें प्राप्त करने के बाद उक्त अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की है। यह है कि भू–प्रबन्ध विभाग ने संवत 2029 से 2048 की जमाबन्दी में खसरा संख्या 724 व 264 को सीधे तौर पर अपीलांटगण व रेस्पोडेन्टगण के पिता के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया, जिसमें खसरा संख्या 724 में भूराजी व देवाजी का नाम दर्ज है व खसरा संख्या 264 में भू–प्रबन्ध विभाग के अधिकारीगण ने अपीलांटगण के पिता श्री देवाजी मीणा की बेजानकारी में व रेस्पोडेन्टगण के पिता भूराजी के मेल मिलाप से सिर्फ भूराजी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर सर्वथा कानून के विपरीत कार्य कर श्री देवाजी को पुश्तैनी कब्जे काश्त की खातेदारी अधिकार से वंचित किया गया है। यह कि खसरा संख्या 264 को रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो के नाम पर नामान्तरकरण संख्या 1101 दिनांक 24.01.2006 को तहसीलदार पिण्डवाडा के जरिए राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा दिया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाकर उक्त नामान्तरकरण संख्या 1101 दिनांक 05.03.2006 को निरस्त किया जाना फरमावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रपुरी ने दौराने बहस निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण आदेश पारित करने में किसी भी प्रकार की कानूनन व वाक्यातन गलती नहीं की गई है। यह है कि अपीलांटगण व उनके पिता श्री देवाराम का वादग्रस्त कृषि आराजी खसरा संख्या 264 एवं पुराने खसरा संख्या 127 व 128 रेस्पोडेन्टगण के पिता श्री भूराराम के पुत्र श्री उदाजी की एक मात्र खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजी थी एवं भूराजी की मृत्यु के बाद रेस्पोडेन्ट उनके पुत्र होने से विधिवत रूप से वैध उत्तराधिकारी व वारिसान होने के कारण नामान्तरकरण दर्ज किया गया एवं उक्त खसरा संख्या 264 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा की कृषि आराजी को रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो काबिज होकर काश्त करते आ रहे है, जिस पर अपीलांटगण व उनके पिता श्री देवाराम को कोई सम्बन्ध नहीं है। यह कि खसरा संख्या 724 की कृषि आराजी अपीलांटगण के पिता श्री देवाजी व रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो के पिता श्री भूराजी के संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी थी, जिस पर पक्षकारान ने मौके पर मकान बनाए एवं निवास करते आ रहे है। खसरा संख्या 264 की कृषि आराजी से अपीलांटगण व उनके पिता स्व. श्री उदाजी का कोई लेना देना नहीं है एवं न ही कोई हक अधिकार ही है। केवल मात्र गलत कथन करने के आधार पर अपीलांटगण कोई राहत प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अपीलांटगण द्वारा जो अपील प्रस्तुत की है वह केवल

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

मात्र दस्तावेजी साक्ष्यों को नकारते हुए झूठे व मिथ्या कथनों का सहारा लेकर यह अपील प्रस्तुत की है, जो खारिज किए जाने योग्य है। यह कि अपीलांटगण व रेस्पोडेन्टगण के मध्य वादग्रस्त कृषि आराजी को लेकर किसी भी प्रकार की कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई है एवं न ही वादग्रस्त कृषि भूमि पर अपीलांटगण का दूर–दूर तक कोई वास्ता है, बल्कि केवल मात्र अपीलांटगण ने फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार करके ऐनकेन प्रकारेण रेस्पोडेन्ट को दबाव में लेकर कृषि आराजी लेना चाहते है जो कदापि संभव नहीं है एवं न ही दिनांक 19.07.1979 को रेस्पोडेन्ट व उनके पिता भूराजी द्वारा किसी प्रकार की लिखा पढ़ी की है एवं यदि कोई ऐसी लिखापढ़ी है भी तो वह फर्जी व कूटरचित दस्तावेज है, जो फर्जी तरीके से अपीलांटगण द्वारा तैयार किया गया, जिसका रेस्पोडेन्ट का कोई वास्ता नहीं है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो की पिता की मृत्यु के पश्चात खसरा संख्या 264 के ही आराजी का नामान्तरकरण संख्या 1101 दिनांक 05.03.2006 को विधिवत रूप से दर्ज कर स्वीकृत किया है, जो पूर्ण रूप से विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाई जाकर नामान्तरकरण दर्ज किया और जिसकी जानकारी शुरू से ही अपीलांटगण को है एवं रेस्पोडेन्ट का उसी कृषि आराजी को बेचने का कानूनी हक व अधिकार होने से रेस्पोडेन्ट संख्या तीन को खसरा संख्या 264 की कृषि आराजी में से 2 बीघा जमीन रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के जरिए बेचान की और जिसका राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण दर्ज हो चुका है, जो राजस्व रेकर्ड से साबित है। यह है कि अपीलांटगण का खसरा संख्या 264 के कृषि आराजी भू–प्रबन्ध विभाग की जमाबंदी सम्वत 2029 से 2048 में स्पष्ट रूप से भूरा वल्द उदा मीणा के नाम से खातेदारी दर्ज है और जिनकी मृत्यु के बाद उनके वैध वारिसान के नाम विधि सम्मत तरीके से नियमानुसार उनके नाम दर्ज किया है, जिनकी जानकारी अपीलांटगण को है। अपीलांटगण को वादग्रस्त कृषि आराजी से कोई लेना देना नहीं है, जिससे अपीलांटगण को उक्त अपील पेश करने का कोई अधिकार ही नहीं है एवं न ही अपीलांटगण विधिक पक्षकार है। इस कारण उक्त अपील कानूनन परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किए जाने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का कोई आधार नहीं होने से अपीलान्ट की अपील खारिज किया जाना फरमावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या तीन की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा ने दौराने बहस निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण आदेश पारित करने में किसी भी प्रकार की कानूनन व वाक्यातन गलती नहीं की गई है। यह है कि वादग्रस्त कृषि आराजी पर रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो के पिता का कब्जा काश्त था एवं उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान काबिज है। यह कि खसरा संख्या 264 की कृषि आराजी में से 2 बीघा कृषि आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या तीन द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो से क्रय किया है, जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या तीन काबिज होकर काश्त कर रहे है। अपीलांटगण द्वारा रेस्पोडेन्ट को हैरान–परेशान करने की नियत से यह अपील प्रस्तुत की है, जो खारिज किए जाने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील खारिज किया जाना फरमावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या चार की ओर से बहस में पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण आदेश पारित करने में किसी भी प्रकार की कानूनन व वाक्यातन गलती नहीं की गई है। पटवारी हल्का वीरवाडा की रिपोर्ट दिनांक 13.01.2006 की रिपोर्ट के आधार पर श्री भूरा पुत्र श्री उदाजी की फौत

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

होने से उनके विधिक वारिसानों के नाम से उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का कोई आधार नहीं होने से अपीलान्ट की अपील खारिज किया जाना फरमावें।

दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलीभॉति अध्ययन एवं अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण आदेश की सत्यापित प्रति का भी अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि विवादित भूमि मौजा वीरवाडा पटवार हल्का वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही में खसरा संख्या 264 रकबा 8.15 बीघा एवं खसरा संख्या 724 रकबा 1.14 बीघा भूमि आई हुई थी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पटवारी हल्का वीरवाडा की रिपोर्ट दिनांक 13.01.2006 के आधार पर श्री भूरा पुत्र श्री उदाजी की फौत होने से उनके विधिक वारिसानों के नाम से तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा दिनांक 05.03.2006 को उक्त वादग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 1101 स्वीकृत किया गया है एवं यह तथ्य दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि श्री भूरा वल्द उदा की फौत हो जाने से उनके सभी विधिक वारिसानों के नाम से उक्त विवादित नामान्तरकरण दर्ज किया गया है एवं श्री भूरा के विधिक वारिसानों का नाम राजस्व रेकर्ड में लिए जाने के सम्बन्ध में दोनों पक्षों को कोई आपत्ति नहीं है। अतः तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा श्री भूरा पुत्र श्री उदाजी के वारिसानों के नाम से स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1101 दिनांक 05.03.2006 प्रथम दृष्टया विधि सम्मत प्रतीत होता है। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा जाहिर किया है कि खसरा संख्या 264 की कृषि आराजी पर अपीलांटगण व रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो के द्वारा संयुक्त रूप से कब्जा काश्त किया जा रहा था, जबकि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा संख्या 264 रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो के स्व. पिता श्री भूराजी मीणा के नाम से ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट अधिवक्ता द्वारा खसरा संख्या 264 की कृषि आराजी को भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो के पिता स्व. श्री भूराजी के नाम से गलत दर्ज किए जाने के सम्बन्ध में अनुतोष मांगा है, जबकि उनके द्वारा नामान्तकरण संख्या 1101 दिनांक 05.03.2006 को चुनौती दी गई है, जो श्री भूरा वल्द उदाजी की फौत होने से उनके वारिसानों के नाम से दर्ज किया गया है। अतः अपीलांट अधिवक्ता द्वारा भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा संख्या 264 की कृषि आराजी का राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज करने के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जानी चाहिए थी, परन्तु उनके द्वारा खसरा संख्या 264 की कृषि आराजी का भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा राजस्व रेकर्ड में किए गए इन्द्राज को सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी जाकर नामान्तरकरण संख्या 1101 दिनांक 05.03.2006 को चुनौती दी गई है। चूंकि तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा नामान्तारकरण संख्या 1101 दिनांक 05.03.2006 पटवारी हल्का वीरवाडा की रिपोर्ट दिनांक 13.01.2006 के आधार पर श्री भूरा वल्द उदाजी की फौत होने से उनके विधिक वारिसानों के नाम से दर्ज किया गया है, जो विधि सम्मत प्रतीत होता है एवं श्री भूरा वल्द श्री उदाजी के फौत होने से उनके विधिक वारिसानों का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किए जाने के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा भी किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई है।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रथम दृष्टया परिपोषणीय प्रतीत नहीं होने से तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 1101 दिनांक 05.03.2006 में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(शुभम चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner